

पत्रांक..... ६४७ / र०का०
पुलिस अधीक्षक का कार्यालय, लखीसराय।

प्रेषक,

पुलिस अधीक्षक,
लखीसराय।

सेवा में,

निदेशक,
सूचना एवं जन-सम्पर्क पदाधिकारी,
बिहार, पटना।

विषय:-

लखीसराय पुलिस के वाहनों के उपयोग में आने वाले विभिन्न प्रकार के वाहनों के टायर एवं बैट्री का क्रय हेतु अल्पकालीन निविदा का प्रकाशन करने के संबंध में।

महाशय,

उपरोक्त विषयक संदर्भ में कहना है कि लखीसराय पुलिस वाहनों के उपयोग में आने वाले विभिन्न प्रकार के वाहनों के टायर एवं बैट्री का क्रय से संबंधित अल्पकालीन निविदा का मुख्य समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने हेतु भेजी जा रही है।

अतः अनुरोध है कि संलग्न अल्पकालीन निविदा को राज्य के मुख्य दो हिन्दी, उर्दू एवं अंग्रेजी समाचार पत्र में प्रकाशित कराने की कृपा की जाय। कृपया समाचार पत्र में प्रकाशन के उपरांत तत्संबंधी सूचना से अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराने का कष्ट किया जाय।

कृपया सूचनार्थ प्रेषित।

अनुलग्नक:- १. प्रकाशन का प्रारूप एवं प्रारूप का C.D. पाँच प्रति में।

विश्वासभाजन्

Om
०८/३/१
पुलिस अधीक्षक,
लखीसराय।

प्रतिलिपि:-

१. पुलिस महानिरीक्षक (प्रोविजन), बिहार, पटना को कृपया सूचनार्थ प्रेषित।
२. जिला जन-सम्पर्क पदाधिकारी, लखीसराय को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।
३. जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, लखीसराय को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि इस निविदा को जिले के बेवसाईट पर अपलोड करने का कष्ट किया जाए।
४. आई०टी० मैनेजर, पुलिस महानिदेशक का कार्यालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि इस निविदा को बिहार पुलिस के बेवसाईट पर अपलोड करने का कष्ट किया जाए।

Om
०८/५/१
पुलिस अधीक्षक,
लखीसराय।

**पुलिस अधीक्षक का कार्यालय, लखीसराय।
अल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना सं0-02/2021**

1. विभाग का नाम:-

पुलिस अधीक्षक का कार्यालय, लखीसराय।

2. विज्ञापन दाता का नाम:-

पुलिस अधीक्षक, लखीसराय।

3. निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि एवं समय— दिनांक—31.03.2021 — 16:00 बजे तक

4. निविदा खोलने की तिथि एवं समय— दिनांक—05.04.2021 — 11:00 बजे

5. विवरणी / कार्य का व्यौरा:-

एतत् द्वारा सूचित किया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 एवं वित्तीय वर्ष 2022-23 में लखीसराय जिला के पुलिस वाहनों के उपयोग में आने वाले विभिन्न प्रकार के वाहनों के टायर एवं बैट्री का क्रय हेतु इच्छुक व्यक्ति/फर्म/प्रतिष्ठानों/आपूर्तिकर्ताओं से तकनीकी निविदा एवं वित्तीय निविदा अलग-अलग मुहरबंद लिफाफे में आमंत्रित की जाती है।

निविदा प्रत्येक समूह के लिए दो अलग-अलग लिफाफे में (प्रथम लिफाफे "A") में तकनीकी संबंधी प्रपत्र यथा फर्म का निबंधन प्रमाण पत्र, जी0एस0टी0 का निबंधन प्रमाण पत्र/आयकर विभाग का पैन नंबर/काली सूची में दर्ज नहीं होने का एक शपथ पत्र/पूर्व में किसी सरकारी कार्यालय को आपूर्ति कराये गये कार्य अनुभव से संबंधित कागजातों की छायाप्रति अनिवार्य है, दूसरे लिफाफे "B" में वित्तीय निविदायें होनी चाहिए। इन दोनों ("A" एवं "B") लिफाफे अलग-अलग मुहरबंद होनी चाहिए, जिन पर तकनीकी निविदा एवं वित्तीय निविदा (समूह का नाम) दर्शाया हुआ हो, एक तीसरे बड़े लिफाफे में रखते हुए मुहर बंद कर भेजना अनिवार्य होगा। निविदा अधोहस्ताक्षरी के गोपनीय शाखा में हाथों-हाथ या निबंधित डाक के माध्यम से सीलबंद स्थिति में प्राप्त किया जाएगा एवं निर्धारित तिथि को अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय प्रकोष्ठ में खोला जाएगा। निविदा से संबंधित सम्पूर्ण विवरणी एवं शर्तें बिहार पुलिस के बेवसाईट www.biharpolice.bih.nic.in एवं लखीसराय जिला के बेवसाईट पर www.lakhisarai.bih.nic.in तथा पुलिस केन्द्र, लखीसराय के सूचना पट्ट पर देखा जा सकता है।

पुलिस अधीक्षक,
लखीसराय।

अल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना सं0-02 / 2021 से संबंधित विवरणी/नियम/शर्तें

- निविदा के अंतर्गत सामग्रियों की सूची :-

समूह-क

वाहन का नाम/टायर का साईज	टायर कम्पनी का नाम				
	CEAT	MRF	JK TYRE	RALCO	APOLLO
वाहन का प्रकार	टायर का साईज				
बेलेरो	215/75				
सुमो गोल्ड	215/75				
जीप	600/16				
जिप्सी	F78/15				
स्पेशियो	185/85				
सुमो विक्टा	185/85				
बस	825/16				
कैदी भान	750/16				
ट्रूप कैरियर 709	750/16				
बड़ी बस	1020				
ब्रज वाहन	245/75				
अपाची मोटरसाईकिल	110/80				
	90/90				
विक्रांता मोटरसाईकिल	120/80				
	90/90				
एचीवर मोटरसाईकिल	3.00/18				
	2.75/18				
ऐन्टी लैण्ड मार्फ्स	-				


समूह-ख

बैट्री का साईज	बैट्री कम्पनी का नाम				
	EXIDE	LUMINOUS	OKAYA	Su-Kam	HBL
बैट्री 12 V. 70 AH					
बैट्री 12 V. 150 AH					
बैट्री 12 V. 100 AH					
बैट्री 6V. 70 AH					
बैट्री MHD 1000					
बैट्री 12 V. 70 AH					
बैट्री 24 V.					

• नियम एवं शर्तें

1. मुहरबंद लिफाफे पर निविदादाता अपना पूरा नाम, पता और मोबाइल नम्बर अंकित करेंगे। निविदा कम्प्यूटराईज्ड एवं फर्म के पैड पर पर होना अनिवार्य है। हस्तालिखित निविदा स्वीकारनीय नहीं है। निविदा में किसी भी तरह की कटिंग या ओभर राइटिंग मान्य नहीं होगा।
2. तकनीकी निविदा में सफल निविदादाता की हीं वित्तीय निविदा पर विचार किया जाएगा। यद्यपि विशेष परिस्थिति में अधोहस्ताक्षरी को इस शर्त को शिथिल करने या रूपांतरित करने का अधिकार होगा।
3. उपरोक्त दोनों समूह के सामग्रियों के लिए अलग-अलग निविदा डालना होगा। निविदादाता यदि चाहे किसी भी एक समूह के लिए या एक से अधिक समूह के लिए निविदा डाल सकता है।

4. प्रत्येक समूह की निविदा के साथ मो 10,000/- (दस हजार) का बैंक ड्राफ्ट जमानत राशि के रूप में जमा करना होगा, जो पुलिस अधीक्षक, लखीसराय के नाम से देय होगा। अन्य किसी जानकारी प्राप्ति हेतु परिवहन शाखा, पुलिस केन्द्र, लखीसराय से सम्पर्क किया जा सकता है।
5. निविदादाता को निविदा में आपूर्ति की जाने वाली सामग्रियों का दर उपरोक्त तालिका अनुसार तथा सभी प्रकार के कर एवं परिवहन व्यय के साथ सामग्री की गुणवत्ता का उल्लेख करते हुए निविदा के साथ संलग्न करना होगा।
6. निविदा में दिये गये स्वीकृत कम्पनी या स्वीकृति के इतर घटिया स्तर की सामग्रियों की आपूर्ति किये जाने के रिथित में उसकी आपूर्ति लिये जाने से इन्कार करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित रहेगा।
7. अधोहस्ताक्षरी को किसी भी निविदा समूह या पूर्ण निविदा को बिना कारण नोटिस बताये आंशिक या पूर्ण रद्द करने का अथवा एक से अधिक फर्मों के बीच बाँटने का अधिकार सुरक्षित रहेगा तथा न्यूनतम दर से किसी भी इच्छुक आपूर्तिकर्ता से कार्य कराया जाएगा एवं इस मामले में अधोहस्ताक्षरी का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।
8. निविदा प्राप्ति के निर्धारित तिथि/समयावधि तक निबंधित पोर्ट/स्पीड पोर्ट या हाथों-हाथ अधोहस्ताक्षरी के आवासीय गोपनीय कार्यालय में दाखिल किया जाएगा। त्रुटिपूर्ण, निर्धारित तिथि तथा तय समय सीमा के बाद निविदा किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं की जाएगी।
9. दाखिल निविदा, निविदा खोलने की निर्धारित तिथि एवं समय पर अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में क्रय समिति के सदस्यों के समक्ष खोली जाएगी। निविदा खोलने के समय निविदा दाता या उनके लेटर पैड पर प्राधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रहेंगे, अन्यथा मुहरबंद निविदाओं को उनकी अनुपस्थिति में हीं खोला जाएगा।
10. सामग्रियों के क्रय के संबंध में अधोहस्ताक्षरी के द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम रूप से सभी निविदादाताओं के लिए बाध्यकारी होगा।
11. अधोहस्ताक्षरी द्वारा क्रयादेश निर्गत किये जाने के पश्चात् हीं सामग्री की आपूर्ति किया जाएगा। आपूर्ति के लिए स्वीकृत निविदा दाता को आदेश के 07 (सात) दिनों के अंदर सामग्री की आपूर्ति लखीसराय जिला के अंतर्गत विनिर्दिष्ट स्थान पर अधोहस्ताक्षरी के निर्देशानुसार करना होगा। इस तय समय सीमा को आवश्यकतानुसार शिथिल करने, बढ़ाने या घटाने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित होगा।
12. निविदा दाता को पूरे वित्तीय वर्ष सामग्रियों की आपूर्ति करनी होगी। आपूर्ति नहीं करने पर जमा किया हुआ अग्रधन एवं लंबित विपत्रों को राज्यसात कर राज्य राज्य कोष में जमा किया जाएगा। फर्म को काली सूची में डाल दिया जाएगा एवं कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
13. यदि आपूर्तिकर्ता निविदा शर्त के किसी कंडिका का उल्लंघन अथवा आदेशित सामग्री की आपूर्ति निर्धारित समय एवं मात्रा में नहीं करते हैं अथवा घटिया गुणवत्ता एवं निम्न कोटि की सामग्री की आपूर्ति करते हैं तो अधोहस्ताक्षरी को यह अधिकार होगा कि निविदादाता के साथ किये गये एकरनामा को रद्द कर दें। साथ हीं ऐसी स्थिति में अधोहस्ताक्षरी को यह भी अधिकार होगा कि वे प्रथम सफल निविदा कर्ता के दर पर दूसरे निविदाकर्ता से सामग्री की आपूर्ति लें।
14. यदि आपूर्ति की गयी सामग्री की गुणवत्ता में कमी पायी जाती है तो सामग्री को स्वीकार नहीं किया जाएगा। साथ हीं अधूरी आपूर्ति स्वीकार नहीं की जाएगी।
15. अग्रिम देने की बाध्यता नहीं होगी तथा आपूर्ति के पश्चात् वित्तीय नियामनुसार राशि का भुगतान किया जाएगा।
16. सामग्रियों की आपूर्ति के लिए अलग से परिवहन का व्यय नहीं दिया जाएगा।


 पुलिस अधीक्षक,
 लखीसराय।